न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 06/2014/टोंक (2014/00083)

मोहम्मद तारीक खां पुत्र अब्दुल शमी खां जाति मुसलमान निवासी युसुफपुरा उर्फ चराई थाना सदर हाल समी मंजिल छावनी थाना, पुरानी टोंक, जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
निर्णय दिंनाक 30–12–2013

———

उपस्थितः 1– श्री समीर अहमद खांन अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री मोहम्मद तारीक खां द्वारा एक शस्त्र संख्या डी.बी.एम.एल.गन नम्बर 142 जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 445/2001 जो कि दिनांक 30–4–2010 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष आवेदन किया जिन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से अपीलार्थी की निवास स्थान व चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी सदर थाना टोंक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न मुकदमें विचाराधीन होने के आधार पर अपने आदेश दिनांक 4–7–2011 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 445/2001 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–12–2013 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के निर्णय दिनांक 30–12–2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 147, 149, 323 आई.पी.सी के तहत मुकदमा नम्बर 83/86 न्यायालय एम.जे.एम टोंक द्वारा दिनांक 30–9–92 को राजीनामें के आधार पर निस्तारण कर दिया तथा उसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 20–2–2001 को अपना लाईसेंस बनवाया तथा उसके पश्चात ही अपीलार्थी द्वारा उक्त शस्त्र लाईसेंस पर क्रय किया। उक्त फौजदारी मुकदमा बन्दुक का लाईसेंस लेने से पूर्व का था इसलिए उक्त पुराने मुकदमे को आधार बनाकर नवीनीकरण रोका जाना विधिसम्मत नहीं था। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में एवं निवास स्थान के संबंध में जो जांच रिपोर्ट उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को प्रस्तुत की उसमें कहीं पर भी अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जावे। उसके बावजूद भी अपीलार्थी की अपील निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को अपने पत्र क्रमांक 1993–90 दिनांक 5–5–2008 द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में पत्र जारी किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी को केवल शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण के बाबत गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20–9–2007 के सन्दर्भ केवल नवीनीकरण के अधिकार दिये जाने का अंकन किया गया। परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि आप अपने स्तर पर शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को निरस्त नहीं करे, परन्तु इसके बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया बल्कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त पत्र के विपरीत जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

उनका यह भी तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मुकदमा नम्बर 83/86 अन्तर्गत धारा 147, 149, 323 आईपीसी थाना कोतवाली में दर्ज होना बताया जबकि उक्त प्रकरण में मुस्तगीस व अपीलार्थीके बीच राजीनामा हो चुका था जिसके आधार पर एम.जे.एम टोंक द्वारा 30–9–92 को ही मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया। उक्त मुकदमा बन्दूक का लाईसेंस लेने से पूर्व का था। मुकदमा नम्बर 62/2003 अन्तर्गत धारा 143, 341, 323 व 34 आईपीसी का मुकदमा दिनांक 5–4–2003 को थाना पुरानी टोंक पर दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 47/2003 के बाबत दिनांक 21–4–2003 को चालान

पेश किया जिसका निर्णय भी राजीनामे के आधार पर दिनांक 15–3–2004 को हो चुका था। राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकशन दिनांक 15–3–2013 क्रमांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट के अनुसार जिन मुकदमों के तहत पक्षकारों को दोषमुक्त किये जाने पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है उक्त परिपत्र गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत स्पष्टीकरण दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र के द्वारा पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक एवं उखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 30–12–2013 व 4–7–2011 निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 14–6–2011 में अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें विचाराधीन होने एवं पारिवारिक विवाद को देखते हुए अपलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 04–07–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 14–6–2011 के पैरा 11 में अपीलार्थी के विरूद्ध जारी समस्त मुकदमें समाप्त हो चुके है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 14–6–2011 में अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें विचाराधीन होने एवं पारिवारिक विवाद को देखते हुए अपलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को दिनांक 17–2–11 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलार्थी ने परिवारजनों के साथ भूमि विवाद को लेकर रंजिश होने के कारण मारपीट होने के कारण एफ.आई.आर दर्ज हुई थी, को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में अपीलार्थी एवं

उनके परिवारजनों के मध्य विवाद होने पर किसी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी से जान व माल का खतरा है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 445/2001 निरस्त किया है जो उचित प्रतीत होता है।

जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश क्रमांक 1794 दिनांक 4–7–2011 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 445/2001 को निरस्त कर शस्त्र संख्या डी.बी.एम.एल. गन नम्बर 142 को पुलिस थाना सदर/पुरानी टोंक में में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालयों (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 4–7–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–4–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर